



सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं. 0522-2724003/2390240, फैक्स नं.
0522-2724009
सीयूजी नं 9454400101
ईमेल: police.up@nic.in
वेबसाइट <https://uppolice.gov.in>
दिनांक: लखनऊ: अक्टूबर 26, 2026

विषय:- क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन संख्या-10660/2025, राम नारायण बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.09.2026 के अनुपालन में यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन संख्या-10660/2025, राम नारायण बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 21.09.2026 में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में पंजीकृत मु.अ.सं.-328/2025 की विवेचना के दौरान नाबालिग पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण किए जाने तथा पीड़िता के कथन के अनुसार घटना के समय उपस्थित उसके छोटे भाई को गवाह के रूप में सम्मिलित न किए जाने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी करते हुये अधोहस्ताक्षरी को विवेचक के विरुद्ध जाँच कराने एवं विवेचना में सुधारात्मक कार्यवाही कराने के लिये निम्नवत निर्देशित किया गया है—

“3. A very disconcerting fact has come to light upon examination of the charge-sheet brought on record alongwith objections filed on behalf of State. Although the victim has been introduced as a minor, the Investigating Officer has indicated her name not only in the statements but also in the charge-sheet despite repeated enunciation on that aspect by Constitutional Courts that names of minor victims are not required to be disclosed. It also appears that in the statement of victim under Section 183 BNSS, she has specifically stated that the incident had occurred in the presence of her younger brother. However, the charge-sheet does not indicate the younger brother as a witness and therefore, obviously, his statement has also not been recorded. There is no indication in the charge-sheet as to why a person nominated as an eyewitness has been excluded from the charge-sheet.

4. In view of such circumstances, the Director General of Police, U.P. is directed to initiate an inquiry against the Investigating Officer with regard to Case Crime No. 328 of 2025 registered in Police Station Achalganj, District Unnao with regard to the aforesaid aspects and to submit a report before this Court alongwith any remedial measures that may have been taken or are required to be taken.”

2. यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012, Nipun Saxena & Another v. Union of India & Others में दिनांक 11.12.2018 को पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु डीजी परिपत्र संख्या-09/2019 दिनांकित 08.02.2019 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012, Nipun Saxena & Another v. Union of India & Others में दिनांक 11.12.2018 के प्रस्तर-43 के बिन्दु-5 एवं 6 में यौन अपराधों से पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण न करने के सम्बन्ध में पुलिस/विवेचना इकाईयों एवं समस्त प्राधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया गया है—

43. In view of the aforesaid discussion, we issue the following directions:

".....

5. The police officials should keep all the documents in which the name of the victim is disclosed, as far as possible, in a sealed cover and replace these documents by identical documents in which the name of the victim is removed in all records which may be scrutinised in the public domain.

6. All the authorities to which the name of the victim is disclosed by the investigating agency or the court are also duty bound to keep the name and identity of the victim secret and not disclose it in any manner except in the report which should only be sent in a sealed cover to the investigating agency or the court.

"....."

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में यौन अपराधों के पीड़ित महिलाओं व बच्चों की पहचान से संबंधित ऐसे समस्त अभिलेखों, जिसमें पीड़ित का नाम अथवा पहचान संबंधी विवरण अंकित हो, को यथासंभव पृथक् रूप से सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में सुरक्षित रखा जाए। यदि विवेचना सम्बन्धी अभिलेखों के Public Domain में जाने तथा पहचान के प्रकटीकरण की संभावना हो, वहाँ पर मूल अभिलेखों के स्थान पर समान/समतुल्य प्रतिलिपि तैयार कर पीड़ित का नाम छिपाते (Mask) हुए अभिलेख प्रेषित किये जाएं। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण न किये जाने सम्बन्धी इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,
24/2
(सजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।